राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित / परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	10574 / 2023	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये
2.	10916 / 2023	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	ToR Not recommended	निरस्त किया जाये
3.	11102 / 2023	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये
4.	5617/2017	1(a)	कटनी	चूनापत्थर एवं डोलोमाईट खदान	Ammendment in EC	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन मान्य नहीं
5.	9656 / 2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये
6.	P-2/70/2024	8(a)	रतलाम	भवन निर्माण	मार्गदर्शन हेतु	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
7.	P-2/860/2024	1(a)	धार	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	237/2008	1(a)	बालाघाट	मैगनीज ऑर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9.	P-2/957/2024	1(a)	देवास	मार्बल एवं लोग्रेड लाईमस्टोन खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Close
10.	10080/2023	1(a)	बालाघाट	मैगनीज ऑर खदान	Ammendment in ToR	ToR संशोधन जारी किया जाये
11.	2518/2015	1(a)	दतिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	9264/2022	1(a)	सीहोर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये
13.	P-2/871/2024	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	ADS raised by SEAC	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
14.	P-2/89/2024	8(a)	इन्दौर	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाये
15.	6719/2020	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
16.	4076/2015	1(a)	धार	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
17.	7479/2020	1(a)	राजगढ़	पत्थर एवं मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये
18.	1915/2015	1(a)	उमरिया	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
19.	3496/2015	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये
20.	9409/2022	1(a)	रायसेन	फर्शीपत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	ADS जारी किया जाये

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. प्रस्ताव क्र. SIA/MP/INFRA2/434232/2023/**Case No 10574/2023:** Prior Environment Clearance for "Samdariya Gold Bhopal" Construction of Residential and Commercial Complex Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.),Built-up area-69861.87 sq.m Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) by M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa ward, Jabalpur (MP) Email: samdariyabhopal@gmail.com Mobile number: 8979659406

प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 716वी बैठक दिनांक 23.01.2024 एवं 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित" समदरिया गोल्ड भोपाल "आवासीय एव निर्माण वाणिज्यिक परिसर भोपाल पश्चिम रेलवे कॉलोनी, हमीदिया रोड, जिला–भोपाल राज्य –मध्य प्रदेश में मेसर्स समदरिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री किशोर समदरिया द्वारा विकसित किये जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना के लिए कुल भूखंड 55890 वर्गमीटर (13.81 एकड़) है। कुलनिर्मित क्षेत्र 69861.87 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m.से कम है, इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में आवासीय फ्लैट, दुकानें, बैंक्वेटहॉल, फूड स्टॉल, होटल मल्टीप्लेक्स आदि शामिल है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर निगम भोपाल को वाटर सप्लाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं एक्स्ट्रा ट्रीटेड वेस्ट वाटर के निष्पादन हेतु अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवेदन किया गया है।
4. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC.) की 716 वीं बैठक दिनांक 23.01.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 66 से 79 पर अंकित है। SEIAA द्वारा SEAC को refer back के उपरांत SEAC के 754 बैठक दिनांक 20.05.24 में उक्त प्रकरण में पुनः पर्यावरण स्वीकृति यथावत रखे जाने की अनुशंसा की गई जो उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 04 से 06 पर अंकित है।
5. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :– CTE

PROJECT FEATURES	**DESCRIPTION**
Project Name & Location	Proposed Commercial Building "Samdariya Gold Bhopal" Construction of Residential and Commercial Complex M/s Samdariya Builders Private Limited, Mr. Kishore Samdariya, which is to be developed at Bhopal West Railway Colony, Hamidia Road, District – Bhopal State – Madhya Pradesh.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

Project Size & type	The total plot size for the project is 55890 Sq.mtr. (13.81 acres). The project will be developed for Residential and Commercial. The proposed project consists of Residential Flats, Shops, Banquet hall, Food Stall, Hotel and Multiplex etc. 2BHK=238, 3 BHK=168,EWS=42, LIG=28, Studio Apartment=60, Shops 1206, Cinema= 4 screens, Food court=1, Banquet =3, Conference Hall=1, Office =1, Hotel =1(54 rooms)
Project proposed Built-up Area	The total Built up Area is 69861.87 m2 , Proposed Building Heights = permissible 30 Mts. (B+G+9)
Total Estimated Water Requirement	Construction Phase= 0.58 KLD (Agency: Private Water Tanker) Operation Phase =291.86 KLD (Fresh Water = 291.86 KLD) (Agency: Municipal corporation)
Total Estimated Wastewater Generation	Construction Phase=5.4 KLD (temporary soak pit) Operation Phase=424.66 KLD (Proposed 510 KLD STP MBBR Technology- 20% enhanced capacity)
Solid Waste Generation	2466.20 Kg/day Operation Phase
Green belt/Green cover and the Landscape plan.	Landscape area of 6147.9 m2 i.e. 11 % of plot area has been proposed. Total trees proposed 245. Total Periphery length 1320 M.
Parking Facilities	Total =1197, Open Parking= 392, Basement Parking= 805
Rainwater Recharge potential	Proposed RWH Pits 1928.202 m3/hr. 13
Power Demand Power Back-up DG Set	8062 KVA (6450 KW) 2x1000 or 1x500 no. of DG set of total capacity 2500 kVA Source of Power: MPEB Solar Power= 1935 KW(30% of the total power load including roof top and common lights) EV Charging Station = 65
CER Budget	Rs. 6,00,000/-

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. भारत सरकार को SEIAA द्वारा भेजे गए पत्र कमांक 1126 दिनांक 03.06.2024 के के संबंध में कोई निर्देश अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक मेसर्स समदड़िया बिल्डर्स प्रा.लि. भोपाल श्रीसी.जे.पी. व्यवहार एवं उनके पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज (मेसर्स जेनिथ इन्वायरमेंट कन्सलटेंसी नोयडा, यू.पी.) द्वारा बताया गया कि पर्यावरण वानिकी मण्डल, भोपाल से परियोजना स्थल पर लगे वृक्षों में से 258 वृक्षों को कटे जाने हेतु अनुमति प्राप्त की गई है। उनके द्वारा लगभग 150 वृक्ष पर्यावरण वानिकी मण्डल, भोपाल की अनुमति प्राप्त कर काटे गये हैं और अनुमति के अनुसार 1500 पेड़ लगाए जाने है। पेड़ लगाने का काम शुरू हो चूका है जो मानसून के पूर्व पूरा कर लिया जायेगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 716 वीं बैठक दिनांक 23.01.2024 एव 754 बैठक दिनांक 20.05.24 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

i. परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।

ii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

iii. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

iv. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

v. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।

vi. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

vii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

2. प्रकरण क्र. **10916/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री रामराजा एग्रीग्रेट प्रा. लिमि. श्री कौशलेस कुमार, डायरेक्टर निवासी ग्राम – चाका, पोस्ट – चाका नैनी, इलाहाबाद डंडी, जिला प्रयागराज (उ. प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता **25000** घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा **3.00** हेक्टेयर, खसरा **14/1** (पी) ग्राम –उमरी ,तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 846 बैठक दिनांक 25.04.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 733 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में उक्त प्रकरण हेतु निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जावेगा पीपी द्वारा प्रस्तवित किया गया कि ब्लास्टिंग नही कि जायेगी एवं रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा परन्तु इस हेतु संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया । पुनः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करने पर प्रकरण पर विचार किया जावेगा। समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थिति में टॉर की अनुसंशा नहीं की जा सकती।

***राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 733 वी बैठक दिनांक** 28.03.2024 **में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण को Delist** किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा आज दिनांक तक वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

3. प्रकरण क्र. **11102/2023** परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष चंदेल आत्मज श्री सुरेश चंदेल, निवासी बिष्ठान रोड़, –खरगोन, जिला–खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष (पत्थर 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 3550 घनमीटर प्रतिवर्ष), रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 05, 07, ग्राम मोमिनपुरा, तहसील खरगोन, जिला–खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**SEAC**) की 741वी बैठक दिनांक 25.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान क्षेत्र हॉलेज रोड़ एवं परिवाहन मार्ग है, जिससे खदान क्षेत्र 02 भागो में विभक्त हो रही है, जिससे लोगो का आवागमन/परिवहन होता एवं खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। उपरोक्त लीज क्षेत्र बीच से निकल रहे परिवहन मार्ग का वैकल्पिक मार्ग प्रदान की जायेगा अथवा नही ? संवेदनशिलता की दृष्टिगत कलेक्टर खरगोन से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 25.05.2024 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं **SEAC** की 741वीं बैठक दिनांक 25.04.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन के पत्र क्रमांक 436 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर जिला खरगौन से परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता करवाये जाने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

4. प्रकरण क्र. 5617/2017 परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश खरे निवासी खरे बिल्डिंग गांधीगंज पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र) द्वारा लाईम स्टोन व डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25,266 टन प्रतिवर्ष रकबा 1.870 हेक्टेयर, खसरा 503, नवीन 867, 955, ग्राम रूपोंध, तहसील बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 781वी बैठक दिनांक 12.04.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई—मेल दिनांक 17.03.2023 के माध्यम से SEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक 30.11.2022 की विशिष्ट शर्त क्र. 3 में संशोधन करते हुए ब्लास्टिंग किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक यदि पर्यावरण स्वीकृति में कोई संशोधन चाहता तो परिवेश पोर्टल पर Amendment of EC हेतु आवेदन करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त निर्णयानुसार परिवेश पोर्टल पर Amendment of EC में नॉन ब्लास्टिंग की शर्त को संशोधन किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण **(SEIAA)** द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक **30.11.2022** में उल्लेखित विशिष्ट शर्त कमांक 3 एवं समस्त शर्तें यथावत रहेंगी इसमें कोई भी संशोधन मान्य नहीं है। अतः **Amendment of EC** के आवेदन को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

5. प्रकरण क्र. 9656/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रावत मिनरल्स, प्रो. श्री अकाश रावत, निवासी– पुरानी बस्ती, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16854 टन प्रतिवर्ष एवं सेलेबल वेस्ट 6360 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.370 हेक्टेयर, खसरा नं. 116, 117, 118, ग्राम मल्हान, तहसील बडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वी बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर कटनी की प्रस्तुत कार्यवाही में ना तो प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक नहीं है और न ही भू–स्वामियों के हस्ताक्षर है तथा कार्यवाही में भू–स्वामी भूमि का विक्रय नहीं किये जाने का उल्लेख है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज में भू–स्वामी का विक्रय पत्र संलग्न है जिसमें राशि का विवरण दिया गया है। चूँकि दोनो ही दस्तावेज विरोधाभाष है। अतः कलेक्टर कटनी के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू–स्वामी उपस्थिति होकर भू–स्वामी की सहमति को कलेक्टर कटनी से अभिप्रमाणित करवाकर एवं सही जानकारी सहित प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को ***Delist*** *किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

6. **Case No P-2/70/2024:**Prior Environment Clearance for Proposed "SAMDARIYA GOLD COMPLEX" Construction of Commercial Complex (M.P.) at Khasra no. 100 (Ratlam), 104/2 (Ratlam), 105 (Ratlam), 106/2/2 (Ratlam), 108/2/2 (Ratlam), 116/2 (Ratlam), Village/Tehsil/District- Ratlam (M.P.). Total Land Area – 24,900.0 m2 (2.49 ha.). Total Built-up Area - 125576.802 sq.m.by Shri Akash Shukla, Authorized Person, M/s SAMDARIYA BUILDERS (RATLAM) PRIVATE LIMITED M.I.G., Vikram Nagar, Ratlam, (M.P.) – 457001. (INFRA2/456558/2023) Cat. 8 (a) Project. B2

प्रकरण पर **SEAC 731** वीं बैठक दिनांक 19/03/24 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लेते हुए **SEIAA** को अग्रेषित किया गया था :–

समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व क्रियान्वयन किया है जो कि एक प्रकार का बायलेशन है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते है।

- *Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.*
- *Construction of temporary sheds .*
- *provision of of temporary electricity and water supply for project site./ gaurds only.*

The above activities shall be undertaken subject to the following:

I. *The land should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained .*
II. *In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.*
III. ***In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.***
IV. *The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.*

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि निम्न बिन्दुओं पर अध्ययन कर प्रस्तुत करें।

1. ***Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.***
2. ***Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.***
3. ***The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.***

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के प्रकाश में समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा 211 पेड नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व कियान्वयन किया है अतः सिया द्वारा इस सबंध में निर्णय लिया जावे कि इसे वायलेशन माना जावे अथवा नहीं।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (**SEIAA**) द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरांत पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूद 211 पेड़ों को नगर निगम की अनुमति के उपरांत ही काटा गया है जिस कारण इसे वायलेशन नहीं माना जा सकता। अतः प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

7. **Case No P2/860/24** Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. for production capacity of 15,000 cum per annum, Khasra No. 643/1/3, Village Khandwa Tehsil Dhar District Dhar (M.P.) by Shri Pappu Choudhary, R/o village Khandwa, Dist-Dhar (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 760वी बैठक दिनांक 29.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का परीक्षण करने के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण ToR हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया है जबकि SEAC द्वारा प्रकरण में बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये कि यदि प्रकरण बी–1 श्रेणी का है तो ToR की अनुशंसा की जाये और यदि बी–2 श्रेणी का है तो परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

8. प्रस्ताव क **SIA/MP/MIN/472500/2024** Case no. 237/2008 – Prior Environment Clearance for Manganese ore mines 6.159 ha. for production capacity of 3000 TPA at Village - Jarah Mohgaon, Teh - Katangi, Distt - Balaghat(M.P) by M/s Jaipuria Leo Software & Systems, Pvt Ltd, Plot No. F4 (A) MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur (M H), **Regarding Transfer of EC in the name of** Glowide Infrastructure Pvt Ltd, Artefact Tower, 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Nagpur.

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s Jaipuria Leo Software & Systems, Pvt Ltd, Plot No. F4 (A) MIDC Industrial Area, Hingna Road, Nagpur (M H), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Glowide Infrastructure Pvt Ltd, Artefact Tower, 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Nagpur के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Glowide Infrastructure Pvt Ltd, Artefact Tower, 54/3, Chhatrapati Square, Wardha Road, Nagpur के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1678 दिनांक 10.12.2012 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क. एफ–3–30/2013/12–2 दिनांक 17.09.2014 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 13.08.2028 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु 10 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है एवं पर्यावरण स्वीकृति में वैधता लाईफ ऑफ माईन 9 वर्ष अंकित है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.02.2025 के पैरा–4 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

9. **Case No. P2/957/24** Shri Abdul Alim, Partner, Tirupati minerals Address; S/O Abdul Sattar, chhapalda ward 9, Moark Station, Kamalpura, Kota, Rajasthan, 336517. Prior Environment Clearance for Marble, Subgrade Minerla and Low-grade Lime stone in an area of 5.00 ha. (Marble –23079, Subgrade Minerla-23079, & Lowgrade Lime stone-26000) M3/ Year) (Khasra No. 43 Village- Polakhal, TehsilUdaynagar (Bagli), District-Dewas (B-2)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 02.05.2025 के माध्यम से उक्त प्रकरण को Withdhraw किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा **प्रकरण** में विस्तृत चर्चा व **परामर्श** उपरांत परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए उक्त **प्रकरण को** Close किये जाने **निर्णय** लिया गया। तदनुसार सर्वसंबधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

10. प्रकरण क्र. 10080/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अर्पण फेरो एलायज, प्रोपराईटर, श्री अनिल चतुरमोहता आत्मज इंदरचंद चतुरमोहता, निवासी वार्ड नं0 11, एफसीआई कोसमी के सामने, बालाघाट, जिला–बालाघाट (म0प्र0) द्वारा मैंगजीन ओर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5741.77 घन प्रतिवर्ष, रकबा 28.02 हे0, Compartment No. PF 807 and 809, ग्राम– मोहगांवघाट, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

उक्त प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 704वी बैठक दिनांक 19.12.2023 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण द्वारा 826वी बैठक दिनांक 04.10.2023 में ToR जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की गई जिसके उपरांत दिनांक 12.02.2024 को प्रकरण में ToR जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त निर्णयानुसार परिवेश पोर्टल पर Amendment of ToR (Form-3) में आवेदन करते हुए प्रकरण में जारी ToR में खसरा नम्बर 396 के स्थान पर Forest Compartment No. PF 807 and 809 एवं रकबा 28.01 हेक्टेयर के स्थान पर 28.02 हेक्टेयर किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में SEAC द्वारा 763वी बैठक दिनांक 06.06.2024 में विशिष्ट शर्तों सहित की गई अनुशंसा मान्य करते हुए प्रकरण में खसरा नम्बर 396 के स्थान पर Forest Compartment No. PF 807 and 809 एवं रकबा 28.01 हेक्टेयर के स्थान पर 28.02 हेक्टेयर पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है तथा ToR की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. प्रस्ताव क <u>SIA/MP/MIN/473066/2024</u> **Case No. 2518/2015** Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.60 ha. (18,000 cum/year) at Village-Salon-A, Tehsil-Bhander, Dist-Datia (MP) By Smt. Anuradha Singh W/o Shri Ravindra Singh Yadav, 240/4, A Civil Line-11, Jhansi (UP) **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s Jai Shri Krishna Stone, Partner Shri Nikhil Gupta, H-2, Virangna Nagar, Jhansi (UP)

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Smt. Anuradha Singh W/o Shri Ravindra Singh Yadav, 240/4, A Civil Line-11, Jhansi (UP), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Jai Shri Krishna Stone, Partner Shri Nikhil Gupta, H-2, Virangna Nagar, Jhansi (UP) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s Jai Shri Krishna Stone, Partner Shri Nikhil Gupta, H-2, Virangna Nagar, Jhansi (UP) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3234 दिनांक 08.07.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दतिया का आदेश क. 407 दिनांक 06.03.2021 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण एवं पत्र कमांक 956 दिनांक 19.08.2021 (वैधता 07.05.20231 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.02.2025 अनुसार 02 वर्ष के पश्चात् आवेदन किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.02.2025 के पैरा–4 के परिपालन में प्रकरण परीक्षण एवं अभिमत हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

12. प्रकरण क्र. 9264/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स उत्कर्ष नेचुरल रेसोर्सेस, श्री फरहान आजम, पार्टनर, सुभांगी सिंह, निवासी– एच – 48, निसात कालोनी, 74 बंगलो, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25650 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.30 हेक्टेयर, खसरा 89/2 ग्राम बमलदाद तहसील इछावर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 753 वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 859वी बैठक दिनांक 05.06.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

"..........SEAC की 753 वी बैठक दिनांक 17.05.2024 में की गई अनुशंसा अनुसार खदान क्षेत्र में लगभग 07 पेड़ हैं जो खनन के दौरान काटे जायेगें जिसके एवज में कुल 70 पेड़ लगाये जावेगें।....." ...."

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के आम के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्त्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को ***Delist*** *किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।*

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 11.01.2025 के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं **SEAC** की 753वीं बैठक दिनांक 17.05.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्रमांक 1470–74 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.01.2031 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर एवं पोण्ड से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

(vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

13. Case No. P2/871/24 Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of "Amber Hotel and Convention Centre" at Khasra No. - Plot No 181/2/1,181/2/2,181/2/6,283/2, VillageNipania, District-Indore, (M.P.), Net Plot Area - 15548.5 m2, Built up Area 32,421.93 Sq.m. to 38,421.93 Sq.m. (As per EC Rooms is 160 and after expansion total num. of rooms will be 243) by Shri Ajay Gupta, DGM (Finance), SAYAJI HOTELS LIMITED, H/1, Scheme No. - 54, Vijay Nagar, Indore, Distt.-Indore (M.P.) 452001 Cat. 8(a) Building Construction Projects. SIA/MP/INFRA2/469983/2024.. 8 (a) Building Cons. Project

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 813 वी बैठक दिनांक 22.07.2025 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :–

प्रकरण आज सेक की 813वीं बैठक दिनांक 22/07/2025 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए एवं ऑनलाईन भी नहीं जुड़े। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी चाही गई और प्रकरण को त्रुटिवश प्राधिकरण को अग्रेषित कर दिया गया। **अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

14. Case No. P-2/89/2024: Prior Environment Clearance for Prashant Grah Nirmaan Sahkari Sanstha Maryadit, Indore is proposing a High-Rise Residential Project "Elite Fortune" at Khasra No. 247 at Village Pipliyakumar, Tehsil JuniIndore, District -Indore (M. P.) Total Land Area – 11490 sq.m., Total Built-up Area – 29,969.85 sq.m. by Shri Narinder Singh Chawla, Director, Prashant Grah Nirmaan Sahkari Sanstha Maryadit, Indore - Distt. – Indore (M.P.) 452001.Email: prashantgrahnirman@gmail.com (INFRA2/459049/2024) EC-B2

1. उक्त प्रकरण निदेशक, प्रशांत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, द्वारा खसरा नंबर 247 ग्राम पिपलियाकुमार, तहसील जूनी इंदौर, जिला– इंदौर (म.प्र.) में प्रस्तावित एक हाई–राइज आवासीय परियोजना "एलिट फॉर्च्यून" के निर्माण हेतु पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भूमि क्षेत्र –11490 वर्ग मीटर तथा निर्मित क्षेत्र – 29,969.85 वर्ग मीटर है।
3. ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार,परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्ग मीटर से <150000वर्ग मीटर तक) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है

S.No.	Particulars	Details
1.	Name of the project	Proposed Construction of High-Rise Residential Project "Elite Fortune"
2	Name of the proponent	Shri Narinder Singh Chawla, Director, PRASHANT GRAH NIRMAAN SAHKARI SANSTHA MARYADIT, INDORE - Distt. – Indore (M.P.)
3	Location of project	Khasra No. 247 at Village Piplyakumar, Tehsil Juni Indore, District Indore.
4	Geographical location	latitude 22°45'47.49"N longitude 75°54'52.91"E
5	Total Plot Area	11490.00 m2
6	Total Built up Area	29969.85 m2
7	Total parking area	8216.95 m2 Open Parking –534.30m2.- 21 ECS Stilt Parking- 4609.59 m2.- 154 ECS Basement Parking- 3073.06 m2 - 88 ECS Total- 21 + 154 +88 = 263 ECS
8	Total Water requirement	Total water requirement –155.83 KLD Fresh water supply – 101.46 KLD
9	Waste Water generation	Total wastewater generated from the project will be 132.88 KLD. This will be treated in STP of 149 KLD capacity.
10	RWH	01
11	Waste Management	Total waste 654.65 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 392.79 Kg/day and non- organic waste 196.39 Kg/day), Inert waste 65.46 Kg/day, E- waste 262.8 Kg/Annum, and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016
12	Total green/ landscape area	Total 50 trees shall be planted in the area of 531 m2 (10 % of total plot area) within the project site.

(दीपक आर्य)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

13	Total power requirement	1152 KVA (02 DG Sets of 250 KVA each proposed as source of backup power)
14	Project Cost	INR- 100 Cr.
15	EMP	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 980 Lacs as capital and Rs.134 Lacs as recurring cost for this project.
16	CER	For Corporate Environment Responsibility PP has proposed Rs 100 Lacs under Corporate Environment Responsibility (CER).

5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC.) की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 21 से 32 पर अंकित है।

6. **उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा** 863-B SEIAA बैठक दिनांक 10.06.24 **में विचार हेतु रखा गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–**

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि यह एक हाई राइज बिल्डिंग परियोजना है, परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है:

I. *टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हाई राइज समिति से प्राप्त अनुशंसा एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ले आउट प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

II. *सहकारी सोसायटी द्वारा किस बॉय लॉज के अंतर्गत इस प्रकार के निर्माण किये जा रहे है, संस्था के सदस्यों द्वारा इस बावत् सहमति भी नहीं है। इस सम्बन्ध में आयुक्त सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समिति/कलेक्टर इंदौर को पत्र लिखकर अभिमत प्राप्त किया जाये की इस तरह की सोसाइटी किस नियम के अंतर्गत इस प्रकार के व्यावसायिक निर्माण कार्य करती हैं।*

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 16.01.25 को अपलोड की गईं।

प्रकरण से संबंधित परियोजना <u>प्रस्तावक/पर्यावरण</u> सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758 वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से xi विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट –1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भवन संचालन के समय पानी की मांग पूर्ति हेतु भूजल पानी से किया जाना प्रस्तावित है इस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।

ii. प्रस्तावित भवन हाई–राइज आवासीय परियोजना है इस हेतु इसके निर्माण के दौरान पूर्ण सावधानी रखी जावे जिससे किसी भी प्रकार जन, धन हानि न हो। साथ ही भूमि विकास नियम 2012 के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

iii. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया भूजल दोहन के स्थान पर यथासंभव नगर निगम से जलापूर्ति करावें। अपरिहार्य स्थिति में भूजल का दोहन करें।

iv. परियोजना के ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

v. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

vi. परियेाजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यो में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

vii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30%गैर पांरपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।

viii. परियोजना स्थल के चारों ओऱ ग्रीन बेल्ट ग्रीन का एरिया जितना अधिकतम हो सके विकसित किया जाना सुनिश्चित करें।

ix. परियोजना स्थल पर ई–वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

x. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

xi. परियोजना प्रस्तावक अगर संभव हो तो पार्किंग एरिया को बढ़ाने हेतु प्रयास करें।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/473282/2024 **Case No. 6719/2020** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Manual / Semi Mechanized Method) in an area of 2.0 ha. for production capacity of 8075 cum/ year at Khasra No. 177/1/1/1/1Ka/1 at Village - Petlawad, Tehsil - Manawad, Dist. Dhar (MP) by Shri Rakesh Jaiswal S/o Shri Jagannath Jaiswal, Village - Bhanpur, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP - 454449, **Regarding Transfer of EC in the name of** Shri Ravi Sharma R/o Village Manawar,Tehsil Manawar,District-Dhar (M.P)

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Rakesh Jaiswal S/o Shri Jagannath Jaiswal, Village - Bhanpur, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP - 454449, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Ravi Sharma R/o Village Manawar,Tehsil Manawar,District-Dhar (M.P)के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Ravi Sharma R/o Village Manawar,Tehsil Manawar,District-Dhar (M.P) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 5144 दिनांक 12.03.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क. 837 दिनांक 12.04.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 04.02.2028 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।
2. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।
3. पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

16. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/474973/2024 **Case No. 4076/2015** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi-Mechanized method) in an area of 4.00 ha. for production capacity of 23,520 cum/year at Khasra no.-57, Village-Dhol, Tehsil-Dharampuri, District-Dhar (MP) by Shri Chandan Chandani S/o Shri Suresh Chandani, 169, Paraspar Nagar, District-Indore (MP) - 454001 **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s unique mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Chandan Chandani S/o Shri Suresh Chandani, 169, Paraspar Nagar, District-Indore (MP) - 454001, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s unique mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक M/s unique mines Partner Shri Kamran Khan, Pearl Garden bypass road Dharmpuri Tehsil Dharmpuri District Dhar (MP) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 1947 दिनांक 13.06.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) धार का आदेश क्र. 391 दिनांक 14.02.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 15.11.2030 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।
2. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।
3. पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 3 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

17. प्रस्ताव क्र <u>SIA/MP/MIN/478330/2024</u> **Case No 7479/2020** Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (opencast manual/semi mechanized method) in an area of 1.0 ha. for production capacity of Stone - 6463 cum per annum (as per approved mine plan), at Khasra No. 95/2, 94/1/1/2 at Village - Pilukhedi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) by Shri Sunil Kumar Jha S/o Shri Srilal Jha, Village - Pilukhedi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh, MP – 465667 **Regarding Transfer of EC in the name of** Shri Shravan Patidar R/o-VillageEklera, Tehsil- Narsinghgarh, District-Rajgarh, (M.P).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Sunil Kumar Jha S/o Shri Srilal Jha, Village - Pilukhedi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh, MP – 465667, द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Shravan Patidar R/o-VillageEklera, Tehsil- Narsinghgarh, District-Rajgarh, (M.P) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Shravan Patidar R/o-VillageEklera, Tehsil- Narsinghgarh, District-Rajgarh, (M.P) के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 3606 दिनांक 14.10.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का आदेश क्र. 310 दिनांक 13.03.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 30.08.2030 तक) की प्रति।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Sunil Kumar Jha S/o Shri Srilal Jha, Village - Pilukhedi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh, MP – 465667 के नाम Stone & Murrum Quarry (opencast manual/semi mechanized method) in an area of 1.0 ha. for production capacity of Stone - 6463 cum per annum (as per approved mine plan), at Khasra No. 95/2, 94/1/1/2 at Village - Pilukhedi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Shravan Patidar R/o-VillageEklera, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh, (M.P) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14.10.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ का आदेश क. 310 दिनांक 13.03.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण की वैधता 30.08.2030 तक वैध मान्य रहेगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तो अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।

III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदानुसार सर्वसंबंधितो को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

18. प्रस्ताव क्र SIA/MP/MIN/491679/2024 **Case No. 1915/2015:** Prior Environment Clearance for approval of proposed Basalt Stone Quarry in an area of 1.00 ha. for production capacity of 2500 cum/year, at Khasara no. 294 at Village-Karounda, Tehsil-Chandiya, District-Umaria (MP) by Shri Naim Mohammad, Mohanpura, Dist-Umaria (MP) **Regarding Transfer of EC in the name of** M/s Trimurti Stone Crusher Prop. Shri Rakesh Singh R/o Village - Kari Mati, Halka Mahroi, Tehsil - Bandhavgarh, District - Umaria (M.P.)

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 2815 दिनांक 03.03.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

III. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उमरिया का आदेश क. 1424 दिनांक 06.10.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 12.07.2032 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक का शपथ पत्र की नोटराईज्ड प्रति।
2. पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)।
3. SEIAA द्वारा निर्धारित प्रकिया शुल्क पावती।
4. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।
5. पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 5 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

19. प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/502898/2024, **Case No. 3496/2015:** Prior Environmental Clearance for Stone Quarry (Opencast Semi Mechanized/Manual Method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11,100 cum/year at Khasra no. 149 (Part) at Village - Chakjairampur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (M.P.) by Angareswar Infrastructure Pro. Smt. Preeti Bhati, 5/5, Urdupura, Rassi Gali, Ujjain (MP) **Regarding transfer of EC in the name of** Sunil Kumar Baurasia R/o A 23 Anand Nagar District Ujjain (M.P.).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 11607 दिनांक 26.02.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं पत्र कं. 2151 दिनांक 01.10.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की प्रति।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

III. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन का आदेश क्र. 701 दिनांक 16.03.2023 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 28.05.2028 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. पूर्व परियोजना प्रस्तावक की अनापत्ति एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक के नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति।
2. पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP)।
3. SEIAA द्वारा निर्धारित प्रकिया शुल्क पावती।
4. पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।
5. पर्यावरण सलाहकार संस्था का वैध प्रमाण पत्र।

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 5 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

20. प्रस्ताव क्र. **SIA/MP/MIN/518878/2025**, **Case No. 9409/2022:** Prior Environment Clearance for Flag Stone Quarry in an area of 1.214 ha. (2400 Cum per annum) (Khasra No. 209), Village - Sund, Tehsil - Raisen, Dist. Raisen (MP) by Shri Sana Ul Haq S/o Shri Saidul Haq, Talab Road, Dist. Raisen (M.P.) **Regarding transfer of EC in the name of** Shri Faisal khan R/o 256, ward no 09, Talab Mohllah, Raisen (M.P.).

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक Shri Sana Ul Haq S/o Shri Saidul Haq, Talab Road, Dist. Raisen (M.P.), द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Faisal khan R/o 256, ward no 09, Talab Mohllah, Raisen (M.P.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Faisal khan R/o 256, ward no 09, Talab Mohllah, Raisen (M.P.)के शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद– विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा। नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र दिनांक 26.05.2023 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का आदेश क्र. 6967–70 दिनांक 01.07.2024 द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांरण (वैधता 13.07.2033 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1. **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा लीज हस्तांरण आदेश की मूलप्रति संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत की जाये।**
2. **पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन।**

उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 से 2 तक की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(दीपक आर्य) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**

परिशिष्ट –1

मानक शर्तें (भवन निर्माण के प्रकरणों हेतु) :–

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–
   a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
   b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
   c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.

8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
    a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
    b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
    c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.

22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.

23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - http://www.environmentclearance.nic.in/ or http://www.efclearance.nic.in/ and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also

25. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, GoI at Bhopal and MPPCB.

26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.

28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.

29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.

30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in

addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.

33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.